



APPENDIX - XI

BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. SA/CER/SEP-2022/CE-09

Dated : 23.09.2022

Certified that the existing building **DAV ISPAT PUBLIC SCHOOL** (name of the building or premises) Affiliation No. – **3330353**, School Code - **15767** at **SECTOR-2, BHILAI, DISTT. - DURG (Chhattisgarh) 490001** comprised of **Ground, First and Second Floor** (upper floors) occupied by **DAV ISPAT PUBLIC SCHOOL, SECTOR-2, BHILAI, Chhattisgarh** (name of the Institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of on **15.09.2022** in the presence of **Mrs. Priyanka Shukla, DAV ISPAT PUBLIC SCHOOL** (name and address of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy upto classes XII with effect from **23.09.2022** for a period of **05** years in accordance with rules.

Issued on **23.09.2022** at **Bhilai** by Er. Dinesh Kumar Samarth (Engineer)

* Strike out whichever is not applicable.

Dinesh Samarth
B.E. (Civil), F.I.V., I.E.T.
F-12517, M-1690013
133/SE - BHILAI
12A, DURG 18- RISALI

Signature with Seal : *Dinesh Samarth*

Name : Dinesh Kumar Samarth

Designation : Structure Engineer

Name & Address of Department/ Office: Nehru Nagar (East), Bhilai

(Registered Structure Engineer – Municipal Corporation Bhilai)

(Assistant Engineer & above officer of concerned Govt. Department only)

Note: This certificate should be signed / issued by Assistant Engineer & above officer of concerned Govt. Department only.

* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated/notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.



कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

जिला - दुर्ग (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के अधीन अनुज्ञप्ति

क्रमांक 150

दिनांक 25/4/2023

---: संरचना इंजीनियर ---

अनुज्ञप्ति क्रमांक - 133 (SE)

वर्ष 2023-24

यह अनुज्ञप्ति श्री दिनेश कुमार स्वस/0 स्व. सोला राम समर्थ, छुडको भिलाई को संरचना इंजीनियर की अधिकारिता के भीतर अधिकारिता रखने वाले कर्तव्य का पालन करने के लिए जैसा कि छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 में दिया गया है, स्वीकृत की जाती है।

यह अनुज्ञप्ति दिनांक 31/3/2024 को समाप्त होगी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा रूपये 1500=00 रसीद बुक क्रमांक 8675/02 दिनांक 3/4/2023 को अनुज्ञप्ति शुल्क जमा कर दिया है।

---: शर्तें ---

1. अनुज्ञप्ति अहस्तांतरणीय है।
2. अनुज्ञप्तिधारी अपने कार्यालय में किसी सहगोचर स्थान पर अनुज्ञप्ति की मूल प्रति लगायेगा और सभी समुचित समयों पर निगम भिलाई के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अधिकारिता रखने वाला प्राधिकारी द्वारा उसका निरीक्षण किया जा सकेगा।
3. अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की समाप्ति की तारीख से पूर्व उसका नवीनीकरण करायेगा।
4. अनुज्ञप्तिधारी छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 के उपबंध का पालन करेंगे और इस अनुज्ञप्ति के निर्बन्धन के अंतर्गत कार्य करेंगे।
5. अनुज्ञप्तिधारी रेखांक तैयार करने तथा उनके द्वारा किये गये पर्यवेक्षक कार्य संबंधी सभी अभिलेख रखेगा। इस अभिलेख का निरीक्षण अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा।
6. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तैयार किये गये प्रत्येक दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर करेगा, नाम और अनुज्ञप्ति क्रमांक लिखेगा और अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
7. यह अनुज्ञप्ति छ.ग. भूमि विकास नियम 1984 में उल्लेखित शर्तों के अधीन होगी और इन शर्तों में किसी शर्त का भंग होने पर तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध की जाने वाले अन्य विधिक कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह अनुज्ञप्ति रद्द हो जावेगी।

8. अनुज्ञप्तिधारी की सक्षमता नीचे दिये अनुसार सीमित होगी :-

संरचना इंजीनियर :- अनुज्ञप्त संरचना इंजीनियर भवन निर्माण आदि की अनुज्ञा से संबंधित कार्य करने के लिये समक्ष होगा और निम्नलिखित प्रस्तुत करने के लिये हकदार होंगे -

- (क) आकार तथा ऊंचाई पर ध्यान दिये बिना ऐसे सभी भवनों के लिये अनुज्ञा से संबंधित सभी रेखांक की जानकारी।
- (ख) समस्त भवनों के लिये संरचना ब्यौरे एवं संगणनाये।
- (ग) समस्त भवनों के लिये पर्यवेक्षक एवं पूर्णता प्रमाण पत्र।
- (घ) एक हेक्टेयर तक क्षेत्र के विकास के लिये अनुज्ञा से संबंधित सभी रेखांक तथा संबंधित जानकारी।
- (ङ) एक हेक्टेयर तक भूमि क्षेत्र के विकास के लिये पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र।

भवन निर्माण अधिकारी
भवन निर्माण अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई